


कार्यालय महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब लखनऊ।

पत्रांक: 3161/सं0-सात-24/वाहन नीलामी/2015-16 दिनांक ⁰⁵ मार्च, 2020

नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी का तालाब, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-2888 दिनांक 11.02.2020 के द्वारा संस्थान की वाहन संख्या यू0पी0-32-टी-5503 ट्रेम्पो ट्रेवलर की नीलामी दिनांक 04.03.2020 को होनी थी कतिपय कारण से यह नीलामी निरस्त की जाती है तथा पुनः दिनांक 13.03.2020 को अपराह्न 01:00 बजे "जहा है" जैसा है के आधार पर नीलामी की जायेगी/ नीलामी की शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। शर्तें संस्थान की वेबसाइट www.sirdup.in पर भी उपलब्ध है।



अपर निदेशक

वाहन नीलामी की शर्तें

1. इच्छुक व्यक्ति/अन्य संस्था/शासकीय एजेन्सी नीलामी से पूर्व रू0—10.000.00/—(रू0 दस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमानत धनराशि अर्नेस्ट मनी के रूप में जो कि महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी का तालाब, लखनऊ के नाम देय होगा, जमा कराकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं जिसे नीलामी की तिथि के दिन पूर्वान्ह 11:30 बजे तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा, इसके पश्चात कोई ड्राफ्ट जमा नहीं किया जायेगा। जमा किये गये ड्राफ्ट नीलामी की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ही बोली दाताओं को वापस किया जायेगा।
2. नीलामी की बोली कम सेकम रू0 60.000—00(रू0.साठ हजार रुपये.मात्र) से आरम्भ की जायेगी।
3. नीलामी बोली के उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि को 03 दिन के अन्दर जमा करके नीलामी किये वाहनों को ले जाने की अनुमति होगी।
4. नीलामी किये जाने वाले वाहन को नीलामी में भाग लेने के इच्छुक सभी व्यक्ति/अन्य संस्था/शासकीय एजेन्सी द्वारा कार्यालय अवधि में (दिनांक 05—03—2020 से 13—03—2020 की अवधि) संस्थान परिसर में देखा जा सकता है।
5. दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ को बिना कारण बताये सबसे ऊँची बोली को रद्द करने का अधिकार होगा। इस विषय में महानिदेशक महोदय का अन्तिम निर्णय मान्य होगा।
6. अधिकतम बोलीदाता वाले ऊपर से 03 लोगों को छोड़कर शेष की जमानत राशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी।
7. बोली स्वीकृत होने के तुरन्त बाद 75 प्रतिशत धनराशि उसी दिन जमा करनी होगी।
8. स्वीकृत बोलीदाता को नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि जमा करा कर 03 दिन के अन्दर वाहन को परिसर से हटाना होगा।
9. उपरोक्त नीलामी की कार्यवाही दिनांक 13 मार्च, 2020 अपराह्न 1:00 बजे संस्थान परिसर में की जायेगी।
10. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा निष्प्रयोज्य नीलामी किये गये वाहन को हटाये जाने के समय यदि कोई शासकीय क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति की समस्त जिम्मेदारी स्वीकृत बोलीदाता की होगी तथा उसे वाहन को परिसर से ले जाने के पूर्व क्षतिपूर्ति/ठीक कराना होगा।